भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली - 110 001
New Delhi - 110 001

सत्यमेव जयते

NCPCR

मिसिल संख्या: MP-ND18482/2024-25/बाल श्रम/DD27837

Notice u/s 13(1)(j) of CPCR Act, 2005

दिनांक: 15/07/2024

प्रति,

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय ,
रायसेन, मध्य प्रदेश
ईमेल :- dmraisen@nic.in

विषय:- आयोग द्वारा सोम डिस्टलीरिस प्राइवेट लिमिटेड ,सेहतगंज, जिला रायसेन ,मध्य प्रदेश मे निरीक्षण करने एवं बाल श्रमिक मुक्त करवाने के संदर्भ मे ।

महोदय,

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा-3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उचित और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है। सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत आयोग को देश में बाल अधिकारों और संबंधित मामलों के रक्षण और संरक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके साथ ही आयोग को सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत धारा-13 (1)(जे) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्ट विषयों के संबंध में वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रियां संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं।

2. कृपया आयोग को अपर सचिव श्रम विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त पत्र **क्रमांक 803/2109313/2024/ए -16 भोपाल दिनांक 08/07/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जिला कलेक्टर की रिपोर्ट भी संलग्न है।** उललेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी के द्वारा दिनांक 15/06/24 को सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्हें 59 बाल श्रमिक मिले जिस पर आगे की कार्यवाही हेतु आपको तथा पुलिस अधीक्षक, रायसेन, मध्य प्रदेश को दिनांक 19 जून 2024 को पत्र भेज गया था। इस संबंध में उपरोक्त प्राप्त पत्र में आपका प्रतिवेदन क्रमांक/3759/2024 दिनांक 21/06/2024 भी सलग्न है। रिपोर्ट में संलग्न आपके प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा आपके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई है। (प्राप्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

3. तदनुसार आपसे अनुरोध है कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदुआनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर आयोग को 03 दिनों के भीतर जाँच आख्या मांगे गए दस्तावेजों के

5वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110 001
5th Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110 001
दूरभाष/Ph. : 011-23478200 फैक्स/Fax : 011-23724026
Web.www.ncpcr.gov.in. Lodge your complaint at: www.ebaalnidan.nic.in

साथ प्रेषित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि **आयोग को सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा-14(1)(घ) के अतंर्गत किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।**

I. इस प्रकरण में जिस तरह से बच्चों का इस्तेमाल बाल श्रमिक के तौर पर किया जा रहा था और उन्हे स्कूल बसों से बाल श्रम हेतु सोम डिस्टलरीज की फैक्ट्री में लाया जाता था, वह उस समय प्रभावी भारतीय दंड संहिता की धारा-370 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा-370 को क्यों नहीं जोड़ा गया जबकि यह इस प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए अतिमहत्वपूर्ण है, कृपया स्पष्ट करें।

भारतीय दंड संहिता की धारी 370 : किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार जो कोई, शोषण के प्रयोजन से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है, (ग) आश्रय देता है, (घ) स्थानान्तरित करता है, या (ङ) प्राप्त करता है, -पहला:—धमकियां देकर, यादूसरा:- बल प्रयोग, या किसी अन्य प्रकार का दबाव, यातीसरा:— अपहरण द्वारा, याचौथा:— धोखाधड़ी या छल करके, यापांचवां:— सत्ता का दुरुपयोग करके, याछठी बात:—भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित प्रलोभन द्वारा, तस्करी का अपराध किया जाता है।

II. आपके प्रतिवेदन के बिंदु 9.1 में 59 बच्चों में से 58 बाल/किशोर श्रमिक तथा एक महिला श्रमिक उम्र 23 वर्ष का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अतः स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक एवं समय अनुसार प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

III. बिंदु 9.3 में यह कहा गया है कि रात्रि अधिक होने पर अभिभावक द्वारा कुछ बच्चों को सुबह प्रस्तुत करने के आश्वासन के साथ अपने साथ ले जाया गया था। बाल कल्याण समिति द्वारा रात्रि में बच्चों को घर भेजने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए अथवा किस प्राधिकारी व किस कानून के तहत आदेश किया गया उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

IV. इसके साथ ही एसडीएम, श्रम विभाग तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों के द्वारा दिए गए बयानों की प्रतिलिपि तथा सभी बच्चों की SIR और ICP उपलब्ध कराई जाए।

V. बिंदु 9.5 में कहा गया है कि आयोग द्वारा निरीक्षण की कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। जबकि इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष का पूरा कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन तथा जिलाधिकारी रायसेन को पूर्व में ही भेजा गया था तथा आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त Liaison Officer को भी इसकी सूचना दी गई थी। सोम डिस्टलरीज में किया गया निरीक्षण औचक था। अतः आपके द्वारा गलत जानकारी पत्र में उल्लेखित की गई है। (पूर्व सूचना हेतु भेजा गया पत्र संलग्न है)

VI. दिनांक 15/06/2024 को दोपहर 01.30 बजे आयोग के अध्यक्ष द्वारा सोम डिस्टलरीज के परिसर के भीतर से ही आपको सूचना दी गई थी, जिसपर आपके द्वारा यह कहा गया कि आप एसडीएम को भेज रहे हैं। किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद दोपहर 3:28 बजे पर एसडीओपी रायसेन को दिए गए पत्र में यह निवेदन किया गया था की समस्त बच्चों का बयान एसडीएम के समक्ष कराया जाए। यदि एसडीएम समय से नहीं पंहुच सकते थे तो बच्चों को फैक्ट्री से जिला मुख्यालय ला कर कार्यवाही संपादित क्यों नहीं की गई? स्पष्ट करें।

VII. समय पर सूचना प्राप्त होने के बावजूद बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करना और इस गंभीर विषय पर FIR दर्ज करने में कई घंटे का विलंब होना प्रशासनिक विफलता का विषय है? अतः जिन अधिकारियों के कारण कार्रवाई में विलंब हुए उनके विरुद्ध अगर आप कार्रवाई करने में असक्षम हैं तो कृपया हमें दोषी अधिकारियों की कॉल डिटेल्स और मोबाईल लोकेशन की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम दोषी अधिकारियों और कलेक्टर कार्यालय के विरूद्ध कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना दे सके।

VIII. बिंदु 9.6 में बताया गया है कि अभी तक छह बाल श्रमिकों की ही एफडी बनाई गई है और बाकी बाल श्रमिकों की एफडी बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृपया स्पष्ट करें कि लगभग एक माह का समय हो चुका है और अभी तक सभी बाल श्रमिकों की एफडी क्यों नहीं काराई गई और पीड़ित बच्चों के खातों में ट्रांसफर की गई राशि के प्रमाण, नाम एवं पते की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त नियोजक के विरुद्ध दिनांक 19 जून 2024 को स्थानीय तहसीलदार रायसेन द्वारा आरसी की कार्यवाही की गई जो कि प्रचलन में है। इसकी प्रतिलिपि साझा करें और आद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराएं।

IX. बिन्दु 9.8 में उल्लेखित सोम हाई स्कूल के रजिस्ट्रेशन ,एफिलियेशन बच्चों की नामांकन सूची सलग्न नहीं है। आयोग के द्वारा आपसे नामांकन सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था किंतु आपके द्वारा एडमिसन रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराई गई है। कृपया स्पष्ट करें और नामांकन सूची उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन में रजिस्ट्रेशन संख्या 1527 से 1648 तक की जानकारी है जबकि 1620 से 1635 तक की संख्या गायब है। अतः पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड प्रस्तुत करें तथा स्पष्ट करें कि 1620 से 1635 संख्या रिकॉर्ड से क्यों छिपाया गया।

X. रेस्क्यू की गई बच्चियों में से सोम स्कूल की एक बच्ची ने 2015-2016 में तीसरी कक्षा पास की। अतः स्पष्ट करें कि इस बच्ची को कब से बाल श्रमिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वर्तमान में यह बच्ची कंहा पढ़ रही है। (संदर्भ के लिए बच्ची की मार्क्सशीट संलग्न है)

XI. संबंधित पुलिस चौकी तथा थाने के दिनांक 15.06.24 से 17.06.2024 के रोजनामचे की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

XII. आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु यह पत्र जारी करने की दिनांक तक की गई कार्यवाही का प्रतिदिन अनुसार प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

4. यह पत्र आयोग के माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जारी किया गया है। आपकी ओर से प्रेषित की जाने वाली जांच आख्या में आयोग की सदर्भित पत्र संख्या एवम् तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

धर्मेन्द्र 15/7/2024
(धर्मेन्द्र भण्डारी)
अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव